रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 606] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1984/अग्रहायण 20, 1906
No. 606] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 11, 1984/AGRAHAYANA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

का. आ. 939 (अ)./सं० ई (सी) ओ, 1977/ए एम (295).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए।

2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की, अनुसूची 3 में खंड सामान्य लाइसेंस-4 में क्रम सं. 32 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि को, क्रम सं. 32(1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

क्र. सं.	मद	अनुसूची 1 के भाग 'ख' के अनुसार क्रम संख्या	संवीक्षा करने वाली एजेंसी
1	2	3	4
32 (2)	कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के. आई. ओ. सी. एल.) द्वारा उत्पादित सान्द्रणों से विनिर्मित लोह अयस्क पैलेट्स ।	ख. 45 (2)	कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के. आई. ओ. सी. एल.)

[सिमिल सं. 5(2) 84-ई-2]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

ORDER

New Delhi, the 11th December, 1984

S.O. 939(E)/No. I(C)O, 1977/AM(295)]. —In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifteenth Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGI-4 of Schedule III, the existing entry appearing against S. No. 32 shall be re-numbered as S. No. 32(i) and the following shall be added thereafter :—

S. No.	Item	S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Canalising Agency
1	2	3	4
32(ii)	Iron Ore Pellets manufactured by Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. (KIOCL) out of concentrates produced by it	B.45(ii)	Kudremukh Iron Ore Co. Limited (KIOCL).

[File No. 5(2)/84-EII]

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984